राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0

क्रमांकः एफ 1(154) अ.स.मा.वि./ संस्थापन/ अनु.नि./2020/ 11915 दिनांक: 22-2-21

कार्यालय आदेश

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, करौली ने अपने पत्रांक दिनांक 27.01.2020 के द्वारा शहीद नायक हंसराज गुर्जर के आश्रित (पुत्र) श्री आकाश कुमार गुर्जर को अनुकम्पा आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकरण जिला कलक्टर, करौली को प्रेषित किया गया। जिला कलक्टर, करौली ने उक्त प्रकरण का परीक्षण कर कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 13.04.2010 के परिपेक्ष में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अपने पत्रांक दिनांक 04.09.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया। कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 13.04.2010 में निहित प्रावधानों के तहत अनुकम्पा के आधार पर श्री आकाश कुमार गुर्जर, जन्मतिथि 15.10.2000 एवं शैक्षणिक योग्यता बी.ए. उत्तीर्ण को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, करौली में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 में उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन इनके द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपयें 14600/– पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति निम्नकित शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की जाती है।

1. अभ्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करें। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें कि कब तक कार्यभार ग्रहण करेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगे।
3. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.06.2018 के नियमानुसार अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने समय इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मृतक का कोई भी वैध आश्रित, मृत्यु के समय एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय तक, अर्थात दोनो ही दशाओं में, राज्य सरकार अथवा केन्द्र या अन्य राज्य सरकारों के अधीन एवं ऐसे किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र /राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी सेवा में नहीं है।
4. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनबृद्धि देय नहीं होगी।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची–Iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे। Fixed Remuneration पर कार्य करने की अपनी सहमति पदस्थापन कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होगें।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय पृथक किया जा सकेगा।
7. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही नियमितीकरण एवं वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
8. परिवीक्षाकाल अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

Pto

9. अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट दिनांक 07.09.2009 एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 21.06.2017 के अनुसार नियुक्ति पर कार्यग्रहण दिनांक से तीन वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर, को कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

10. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के नियम 5 (2) में वर्णितानुसार अभ्यर्थी द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों का (जो मृतक पर आश्रित है) उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं किया जाना पाया गया, तो नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवालाभ देय होंगे।

12. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते है तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

13. अभ्यर्थी की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्नित किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते है तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।

15. अभ्यर्थी ने सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र व पुलिस सत्यापन प्रमाण– पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

16. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होगें एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ6(5) वित्त/नियम/99 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।

17. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18.2.2021

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः एफ 1(131)संस्थापन/ अ.स.मा.वि./क.स. भर्ती/2020/ 11916-26 **दिनांकः** 22-2-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
5. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, करौली।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, करौली को भेजकर निर्देश है कि कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, करौली।
10. संबंधित अभ्यर्थी श्री आकाश कुमार गुर्जर, ग्राम सिकन्दरपुर तहसील नादौती जिला करौली 322215।
11. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

(नसीम खान)
उपनिदेशक प्रथम